

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 702]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2020 — पौष 10 , शक 1942

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक 1491/आर-472/आठ-परि/2020.— कोरोना वायरस (कोविड-19) के महामारी के संक्रमण के परिणामस्वरूप, लॉकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण, यात्री बसों के संचालन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यात्री वाहनों से संबंधित मोटरयान कर के भुगतान में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है:-

- (क) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 11 एवं 12 में निहित निर्बंधनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए, माह मार्च, 2021 तक की कालावधि के लिए, अग्रिम में देय मासिक कर को जमा करने में छूट।
- (ख) 31 मार्च, 2021 के पश्चात्, अग्रिम में मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान पूर्वानुसार स्वतः प्रभावशील हो जावेगा।
2. यह अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से 31 अक्टूबर, 2020 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धूर्त, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 30th December 2020

NOTIFICATION

No. 1491/R-472/Trans-VIII/2020.— As a result of epidemic of corona virus (Covid-19), circumstances arising from lockdown, in view of the difficulties faced in the operation of passenger buses, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan adhinyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts in payment of motor vehicle tax in respect of passenger vehicles as follows:-

1. (a) Exemption in submission of advance monthly tax payable for a period of March, 2021, subject to the restrictions and conditions specified under rule 11 and 12 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Rules, 1991.
- (b) After 31st march, 2021, the provision for depositing monthly tax in advance shall automatically become effective.
2. This notification shall come into force with retrospective effect from 31st October, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.